न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 43 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जवानाराम पुत्र श्रीरामाराम जाति जाट निवासी तिपनी तहसील लाडनूं जिला नागौर		1. सतपाल पुत्र शिवदानाराम जाति जाट 2. बद्रीराम पुत्र छोगाराम जाति जाट 3. शेराराम पुत्र छोगाराम जाति जाट 4. भंवराराम पुत्र बद्रीराम जाति जाट 5. दीपाराम पुत्र श्रीरामाराम जाति जाट 6. खींवाराम पुत्र श्रीरामाराम जाति जाट 7. रामकुमार पुत्र जवानाराम जाति जाट 8. रामप्रसाद पुत्र हीराराम जाति जाट 9. समदर पुत्र हीराराम जाति जाट 10. भंवराराम पुत्र भेराराम जाति जाट 11. झुमरराम पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासीगण तिपनी तहसील लाडनूं जिला नागौर 12. तहसीलदार लाडनूं

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या–12 की और से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश दिनांक– 22-2-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के न्यायालय में लम्बित राजस्व प्रार्थना पत्र 01 / 2017 सतपाल वगैराह बनाम दीपाराम वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या–5 दीपाराम ने बावजूद तामील के हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया। अप्रार्थी संख्या–6 से 11 द्वारा नोटिस लेने से इंकार होने पर दो–दो मौतबिरान के हस्ताक्षर सहित नोटिस प्राप्त हुऐ एवं इनके द्वारा भी हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को हूबह दौहराते हुऐ कथन किया की अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 से 11 के विरूद्ध मौजा तिपनी के खसरा नम्बर 194 गैर मुमकिन कटाण रास्ता पर खसरा नम्बर 195 के खातेदारान प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 11 द्वारा पट्टीयां गाडकर तार बांधकर कटाण रास्ते को बन्द करना बताकर रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को सुचारू रूप से खुलवाने हेतु धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत आवेदन पेश किया जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2017 अप्रार्थी संख्या 12 के यहां विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा उक्त प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही नहीं कर गलत कार्यवाही करने एंव उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही गलत व विधि विरूद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर व अप्रार्थीगण

कलक्टर, नागौर

संख्या 1 से 4 के साथ मिलावट कर व उनके प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध तरीके से की जा रही है व प्रकरण की कार्यवाही के आधार पर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 12 से किसी भी प्रकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत की जा रही है। जो प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से साबित है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 12 के न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल किया जाना उचित व न्याय संगत है। विधि अनुसार धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार केवल सुखाधिकार के रास्ते को ही खुलवाने के लिये आवेदन पेश किया जा सकता है। धारा 251 के अन्तर्गत किसी कटाणी रास्ते पर किये गये अवरोध को हटाने के लिये आवेदन पेश नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने कटाणी रास्ते को अवरोधित करना बताकर कटाणी रास्ते को खुलवाने के लिये आवेदन पेश किया है जो धारा 251 की परिधी में नहीं आता है इस हेतु धारा 251 के अन्तर्गत न तो आवेदन पेश किया जा सकता है व न ही ऐसा आवेदन दर्ज ही किया जा सकता है साथ ही अप्रार्थीगण ने रास्ता शिफ्ट का भी अनुतोष चाहा है जिसका किसी भी राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है व न ही रास्ते का किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने का ही अधिकार है। इस प्रकार ऐसे प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 12 को सुनवायी करने का ही क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी जानबूझकर अवैध कार्यवाही की जा रही है। इसलिये भी प्रकरण अप्रार्थी संख्या 12 के न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 12 ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के साथ मिलावट कर रखी है व पूर्णतया उनके आर्थिक प्रभाव में है व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी को स्पष्ट रूप से ऐलानियां कहा है व उन्होने तहसीलदार को खरीद लिया है व पूर्ण रूप से अपने आर्थिक प्रभाव में ले लिया है व शीघ्र ही तुम्हारे खेत में सें रास्ता निकाल देगे व रास्ते का तुम्हारे खेत में शिफ्ट कर देगे व रास्ता कायम कर आवागमन कर लेगे जो अप्रार्थी संख्या 12 की कार्यप्रणाली से भी पूर्णतया साबित है कि अप्रार्थी संख्या 12 पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव में है व इसी नियत से प्रकरण में एक दो दिन की तारीखें देते हुए येन केन प्रकरण बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये विधिक प्रावधानों कें विपरीत जाकर व अपने क्षेत्राधिकार के परे जाकर निर्णय पारित करने पर आमादा है इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 12 से प्रार्थी को किसी प्रकार के न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाने के लिये अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित व न्याय संगत है। मौके पर स्वंय अप्रार्थी संख्या एक ने रास्ता खसरा नम्बर 194 पर मकान व दीवार का निर्माण करवाकर रास्ते को अवरोधित कर रखा है तो पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है व साथ रिपोर्ट के अनुसार स्वंय अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही होकर बेदखली आदेश पारित किया गया है जो रिपोर्ट से साबित है जो आवेदन के साथ ही पेश की गई है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने तथ्य छुपाकर आवेदन पेश किया जिसकी जानकारी भी अप्रार्थी संख्या 12 को पूर्ण रूप से है फिर भी अप्रार्थी संख्या 12 अप्रार्थी संख्या एक के साथ मिलावट कर उसे फायदा पहुंचाने की नियत से अवैध रूप से बिना अधिकार के उक्त कार्यवाही की आड में रास्ते को प्रार्थी के खेत में शिफ्ट करने पर आमादा है व इस हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध तरीके से की जा रही है व प्रकरण में पूर्ण सुनवाई व पक्ष रखने के लिये पर्याप्त समय दिये बिना एक दो दिन की तारीख देकर न्याय की सामान्य प्रक्रिया की पालना किये बिना व बिना समुचित सुनवाई के येन केन प्रकारेण निर्णय कर अपनी उद्देश्य पूर्ति करने पर आमादा है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 12 पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में है व उनके साथ मिलावट कर व आर्थिक प्रभाव में आकर उन्हे फायदा पहुंचाने पर आमादा है व इस हेतु अपने में निहित न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग कर सम्पूर्ण कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 12 से किसी प्रकार के न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी संख्या 12 के यहां विचाराधीन राजस्व

कलक्टर, नागौर

प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2017 सतपाल व अन्य बनाम जवानाराम व अन्य को अप्रार्थी संख्या 12 के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी के आवेदन का जवाब पेश कर कथन कर अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 पूरा सही नहीं होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को हटाने व रास्ते को सुचारू रूप से खुलवाने के लिये तहसीलदार लाडनूं के यहां पर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् आवेदन पेश किया हुआ है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही नहीं कर गलत व विधि विरूद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के साथ मिलावट कर उनके प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध तरीके से की जा रही हो। यह कथन भी गलत है कि प्रार्थी को न्याय प्राप्त होने की सम्भावना नहीं हो। बल्कि प्रार्थी ने गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय हाजा में आवेदन गलत पेश किया है। जो सव्यय खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 12 उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत जा रही हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं हो बल्कि प्रार्थी ने उक्त आवेदन केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिये मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 2 गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध तरीके से की जा रही हो। यह कथन गलत है कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् रास्ता खुलवाने का अप्रार्थी संख्या 12 को अधिकार नहीं हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि धारा 251 की परिधि में नहीं आता हो। यदि प्रार्थी को क्षेत्राधिकार संबंधि किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो वह अधिनस्थ न्यायालय में उक्त ऐतराज पेश कर सकता है किन्तु प्रार्थी उक्त प्रकरण में जानबूझकर देरी करना चाहता है इसलिए उसने माननीय न्यायालय में उक्त आवेदन पेश किया है।

प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 12 ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के साथ मिलावट कर रखी हो व पूर्णतया उनके आर्थिक प्रभाव में हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी को स्पष्ट रूप से ऐलानियां कहा हो कि उन्होने तहसीलदार को खरीद लिया है व पूर्ण रूप से अपने आर्थिक प्रभाव में ले लिया हो बल्कि कितने तारीख को व कब इस प्रकार का कथन किया इसका कोई उल्लेख प्रार्थी ने अपने आवेदन में नहीं किया है इससे ही प्रार्थी का यह कथन मिथ्या साबित होता है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 12 की कार्यप्रणाली से भी पूर्णतया साबित हो कि, अप्रार्थी संख्या 12 पूर्णरूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव में हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि इसी नियत से प्रकरण में एक दो दिन की तारीखे देते हुए येन केन प्रकरण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित करने पर आमादा हो। यह कथन भी गलत है कि न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो। बल्कि प्रार्थी स्वंय उक्त प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है इसलिए वह येन केन उक्त प्रकरण में विलम्ब करने के लिये मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने रास्ता खसरा नम्बर 194 पर मकान व दीवार का निर्माण करवाकर रास्ते को अवरोधित कर रखा हो। यह कथन भी गलत है कि पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से साबित हो। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही गलत की गई थी जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने अपील पेश की जिस पर उक्त प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिये अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया हुआ है। क्योंकि वास्तव में रास्ते की जायगा पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिससे आम जन को भारी परेशानियां उठानी पड रही है। इसलिए प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रार्थना पत्र में देरी करने के लिये उक्त आवेदन मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी ने तथ्य छिपाकर आवेदन पेश किया हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि, अप्रार्थी संख्या 12 अप्रार्थी संख्या 1 के साथ

कलक्टर, नागौर

मिलावट कर उसे फायदा पहुंचाने की नियत से अवैध रूप से बिना अधिकार के उक्त कार्यवाही की आड में रास्ते को प्रार्थी के खेत में शिफ्ट करने पर आमादा हो बल्कि प्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसे खुलवाने के लिये ही अप्रार्थी ने आवेदन पेश किया हुआ है। यदि कोई ऐतराज है तो वह अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर सकता है किन्तु वह उक्त प्रकरण में देरी करना चाहता है इसलिए उसने मिथ्या व गलत तथ्यों के आधार पर उक्त आवेदन पेश किया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है। यह कथन भी गलत है कि विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना व उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना ही येन केन निर्णय पारित करने पर आमादा हो। यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 12 पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में व उनके साथ मिलावट कर व आर्थिक प्रभाव में आकर उन्हे फायदा पंहुचाने पर आमादा हो। यह कथन गलत है कि न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग कर सम्पूर्ण कार्यवाही की जा रही हो, का कथन करते हुवे वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त आवेदन सारहीन, बलहीन व बेबुनियाद व गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने निवेदन किया।

राजपैरोकार (अप्रार्थी संख्या–12) ने अपनी बहस में वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की बहस का समर्थन करते हुऐ कथन किया कि वकील प्रार्थी ने मिथ्या एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर जानबूझ कर प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में विधि अनुसार सुनवाई की जा रही है, अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं हो तो उक्त संबंध में प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का कथन की अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने तहसीलदार लाडनूँ के साथ मिलावट करके उनके आर्थिक प्रभाव में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया कहा की उन्होने तहसीलदार को खरीद लिया है व आर्थिक रूप से अपने प्रभाव में ले लिया व शीघ्र ही प्रार्थी के खेत में से रास्ता निकाल देगें एवं रास्ते को प्रार्थी के खेत में शिफ्ट करने के संबंध में वकील प्रार्थी ने स्वंय के उक्त कथन के अतिरिक्त ऐसी कोई ठोस एवं स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से किये जाने योग्य है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन कि अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में यदि सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का कथन की अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने तहसीलदार लाडनूँ के साथ मिलावट करके उनके आर्थिक प्रभाव में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया कहा की उन्होने तहसीलदार को खरीद लिया है व आर्थिक रूप से अपने प्रभाव में ले लिया व शीघ्र ही प्रार्थी के खेत में से रास्ता निकाल देगें एवं रास्ते को प्रार्थी के खेत में शिफ्ट करने के संबंध में वकील प्रार्थी ने स्वंय के उक्त कथन के अतिरिक्त ऐसी कोई ठोस एवं स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा तहसीलदार लाडनूँ से मिलावट करने एवं तहसीलदार लाडनूँ उनके आर्थिक प्रभाव में हो इससे इंकार किया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा किस दिनांक को कंहा पर एवं किसके समक्ष प्रार्थी को ऐलानिया कहा की उन्होने तहसीलदार को खरीद कर आर्थिक रूप से अपने प्रभाव में ले लिया है आदि के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थी संख्या–12 तहसीलदार लाडनूँ ने भी प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाने का उल्लेख करते हुऐ प्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आक्षेपों से इंकार किया है। इस प्रकार बिना किसी उचित एवं ठोस कारण के प्रकरण सुनवाई हेतु किसी अन्य पीठासीन अधिकारी को मुन्तकिल जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर